

फर्द अहकाम

पालय उपखण्ड अधिकारी जयराजगढ (जयपुर)

बनाम महेशा कुमार जकार जकार

समा संख्या / वर्ष : 100 / 20 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

7/11/21 महेश कुमार का अर्ज द्वारा 136 बूट राजपथ अधीन 1956 की धारा के तहत जकार के जकार से अधिकार का राजेश कुमार व नी पेश किया। जयनाथ का रजिस्ट्रार किया जाकर अपाधीन का नोटिस जारी कर पत्र पत्र दिनांक 11/11/2021 को पत्र ही है।

TDR
जयराजगढ
82
7/11/21

11/11/21

उपरोक्त पत्र में अधिकांश रूप द्वारा
उपरोक्त पत्र में अधिकांश रूप द्वारा
उपरोक्त पत्र में अधिकांश रूप द्वारा
21/11/21

21/11/21

पत्रवाली पेश हुई दलील जपरी उपर तहसीलदार जयराजगढ ने अपने पत्रांक 20 दिनांक 10/11/21 के द्वारा पत्र पेश किया। जो अधीन रहे अप पत्र की कल सुनी गई। कल सुनने के पत्रवाली का कल के करने पर जयनाथ अंतर्गत धारा 136 के अधीन की जाकर जयनाथ विस्तृत निर्णय पत्र से जयनाथ पत्रवाली में अधीन पेश अप पत्रवाली पत्रवाली के अधीन अधीन का है।

उपखण्ड अधिकारी
जयराजगढ

आर्जन पत्र सं. 09/2024

अनाम - महेश कुमार शर्मा सरकार

पुत्र संख्या 4-36 हेमेट जमीनी की राजपलानी
शर्मा है। जिसमें जमीनी का नाम मावलीग
मालूराम पुत्र रामचंद्र संरक्षित सरपरार माता
शुजा अशोक है उक्त विवाहित भूमि में जमीनी
का नाम मालूराम पुत्र रामचंद्र कर दिया। उक्त
जमीनी का नाम महेश कुमार शर्मा पुत्र रामचंद्र
शर्मा है जिसे दुरुस्त किया जाता आवश्यक है

उक्त विवाहित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड
में अशोक जमीनी का नाम मालूराम पुत्र रामचंद्र
को दुरुस्त कर महेश कुमार शर्मा पुत्र रामचंद्र
शर्मा अशोक किया जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त अधिवास को दर्ज रजिस्ट्रार
कर तापकी अशोकी की जागीरी की बार्ड

कृषि तहसीलदार जगन्नाथगठ ने
अपने पत्र सं. 1315/2020/28 दिनांक 18/11/20 के
द्वारा जवाब देना किया जिसमें अशोक किया
कि ग्राम चाण्ड का मंड के खाता सं. 167 संख्या
157 खाता सं. 287 खण्ड सं. 498 खाता संख्या 166
फिता 5 में श्रुतिपत्र रिकॉर्ड जमीनी का नाम
मावलीग मालूराम पुत्र रामचंद्र जमीनी हीराणा
शुजा सं. गुवाबडी दर्ज है जमीनी के इलाके
में महेश कुमार शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा निवासी
ग्राम चाण्ड का मंड है।

यकीन जमीनी व पेंडोकार सरकार
की बहाल सुनी शर्मा बहाल सुनी व पेंडोकार
का अवलोकन करने पर उक्त अधिवास पर
अंतर्गत धारा 136 अ-राजस्व अर्थविषय 1958 के
स्वीकार किया जाता है तथा विवाहित भूमि में
जमीनी का नाम मालूराम पुत्र रामचंद्र को
दुरुस्त कर इसके स्थान पर महेश कुमार
शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा दर्ज करने के आदेश

217

संपन्न अधिकारी
जगन्नाथगठ

प्रमाण पत्र सं. 05/2024

उपनाम - महेश कुमार काम साकार

तहसीलदार जमवारामगढ़ को विधि जात्रे हे
तदनुसार साख्त रिकॉर्ड में डाल किया जैसे

गिरण्य की जी तहसीलदार जमवारामगढ़
को पालनाम हेतु भिजवाडि जैसे

पत्रावली फेराल शुभार लेकर नमर
रु कम हो काद कर्वे कर्मिल सुतरहे

गिरण्य आज दिनांक 21/01/2024 को
सुले ज्वापालप सुनापन बाधा

(Signature)

सपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़